(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री छत्रपाल चौधरी (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 131/2022/प्रार्थना पत्र

उनवान

1. कैलाशचन्द पि. रामसिंह जाति धाकड नि. कादर नगर तहसील सुनेल
2. घनश्याम पि. रामसिंह जाति धाकड नि. कादर नगर तहसील सुनेल
3. तेजराम पि. रामसिंह जाति धाकड नि. कादर नगर तहसील सुनेल
4. पप्पूलाल पि. रामसिंह जाति धाकड नि. कादर नगर तहसील सुनेल

– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजाराम पि. गोवरधनलाल जाति धाकड नि. कादर नगर तहसील सुनेल
2. गोपाल पि. गोवरधनलाल जाति धाकड नि. कादर नगर तहसील सुनेल
3. तूफानसिंह पि. गोवरधनलाल जाति धाकड़ नि. कादर नगर तहसील सुनेल
4. झमकूबाई पि. गोवरधनलाल जाति धाकड नि. कादर नगर तहसील सुनेल
5. कन्याबाई पि. गोवरधनलाल जाति धाकड नि. कादर नगर तहसील सुनेल
6. गंगाबाई पत्नि गोवरधनलाल जाति धाकड नि. कादर नगर तहसील सुनेल
7. शांतिबाई पि. भेरूलाल जाति धाकड नि. कादर नगर तहसील सुनेल
8. कनीराम पि. भेरूलाल जाति धाकड नि. कादर नगर तहसील सुनेल
9. पानबाई पत्नि भूणीराम जाति धाकड नि. कादर नगर तहसील सुनेल
10. भूणीराम पि. कनीराम जाति धाकड नि. कादर नगर तहसील सुनेल
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – वकील प्रार्थीगण – श्री महेन्द्रसिंह जैन

आदेश दिनांक : 26/07/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि ग्राम कादर नगर तहसील सुनेल की आराजी ख.नं. 251 रकबा 0.2276 हेक्टर व ख.नं. 534/251 रकबा 0.6703 हेक्टर आराजी प्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। इससे लगवा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ COURT 2024

ll

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

आराजी ख.नं. 627/251 सरकारी गैर मुमकिन रास्ता है एवं उसके बाद अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है।

प्रार्थीगण के खाते की आराजी ख.नं. 251 एवं ख.नं. 534/251 की पूर्व में पैमाईश होकर प्रार्थीगण ने रास्ते की तरफ तार खम्भे लगा रखे थे। सरकारी गैर मुमकिन रास्ता ख.नं. 627/251 लगभग 16-20 फीट चौड़ा हमेशा से रहा है। अप्रार्थीगण के उक्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर अपने खेत में मिला लिया तथा प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि में होकर रास्ता निकालना चाह रहे है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण ताकतवर एवं प्रभावशाली व्यक्ति है। दिनांक 21.12.2022 को अप्रार्थीगण तहसीलदार एवं पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर आये एवं तार खम्भे तोड दिये व प्रार्थीगण की भूमि में होकर रास्ता निकालने की धमकी दी।

इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं अपरिमित क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण की है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण होने तक ग्राम कादर नगर तहसील सुनेल की आराजी ख.नं. 251 रकबा 0.2276 हेक्टर व ख.नं. 534/251 रकबा 0.6703 हेक्टर भूमि में होकर रास्ता नहीं निकाले एवं प्रार्थीगण की भूमि में बेजा मदाखलत व मजाहमत नहीं करे। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम कादर नगर की जमाबंदी सं. 2075-78 के खाता सं. 28, 29, 177, 1, 80 की नकले एवं नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की।

अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया परन्तु सम्मन तामिल होने के बावजूद अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे जिससे अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में ली गई।

वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकील वादी द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया कि ग्राम कादर नगर तहसील सुनेल की ख.नं. 627/251 रकबा 0.1770 गैर मुमकिन रास्ता खाता सरकार दर्ज रिकार्ड है एवं ग्राम कादर नगर तहसील सुनेल की आराजी ख.नं. 251 रकबा 0.2276 हेक्टर व ख.नं. 534/251 रकबा 0.6703 हेक्टर भूमि प्रार्थीगण की शामलाती भूमि है। प्रकरण से संबंधित मूल वाद धारा 188 आर.टीएक्ट के तहत जैरकार है जिसमें प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की हुई है इसके बावजूद प्रकरण वादी की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

लंबित है। वादी की वादग्रस्त आराजी से लगवा रिकार्डेड गे.मु.रास्ता है, रिकार्डेड रास्ते एवं आराजी के सीमा विवाद की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने पर प्रकरण में विवाद बढने एवं आमजन को परेशानी होने की संभावना रहेगी।

आदेश

इस प्रकार वादग्रस्त आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न हो।

(छत्रपाल चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)